समाहरणालय बाँका
(राजस्व शाखा)

कुन्दन कुमार, भा0प्र0से0
समाहर्त्ता, बाँका

पत्रांक–....................../रा0,

सेवा में,

निदेशक
सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

बाँका, दिनांक–....../जनवरी, 2020

विषय :– बाँका जिलान्तर्गत अक्टूबर श्रेणी सैरात धनकुण्ड शिवरात्रि मेला की बन्दोवस्ती हेतु अतिअल्पकालीन आम सूचना का प्रकाशन दैनिक हिन्दी समचार पत्रों में कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अक्टूबर श्रेणी सैरात धनकुण्ड शिवरात्रि मेला वित्तीय वर्ष 2019–20 की बन्दोवस्ती हेतु अतिअल्पकालीन आम सूचना की प्रतियाँ एवं सी0डी0 संलग्न कर भेजा जाता है।

अनुरोध है कि यथाशीघ्र कम से कम दो हिन्दी समाचार पत्रों में आम सूचना का प्रकाशन कराने हेतु सम्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :–यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/–
समाहर्त्ता
बाँका

ज्ञापांक–......79....../रा0, बाँका, दिनांक–20/जनवरी, 2020

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी ,बाँका/भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बाँका/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी प्रखण्ड प्रमुख, बाँका जिला को आम सूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं वृहत पैमाने पर प्रचार–प्रसार हेतु तथा सूचना पट्ट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित। निदेश है कि अपने स्तर से भी व्यापक प्रचार–प्रसार करायेंगे। संबंधित अंचल अधिकारी बस पड़ाव एवं मेला स्थल पर डुगडुगी पिटवाकर प्रचार–प्रसार करेंगे। साथ ही प्रखण्ड त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर प्राप्त कर प्रचार–प्रसार से संबंधित प्रमाण–पत्र एवं तामिला प्रतिवेदन जिला राजस्व शाखा, बाँका को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि– जिला नजारत उपसमाहर्त्ता, बाँका को आम सूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि डाक में भाग लेने वाले डाकवक्ता से जमानत की राशि जमा लेंगे एवं डाक के समय नाजिर को उपस्थित रहने का निदेश देंगे।

प्रतिलिपि– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, बाँका को अनुलग्नक सहित आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आम सूचना की प्रति को जिला के वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि– जिला सहकारिता पदाधिकारी, बाँका को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, बाँका को आम सूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि जन सम्पर्क निदेशालय से सम्पर्क स्थापित कर दो दैनिक समाचार पत्रों में सैरात की बन्दोवस्ती संबंधी आम सूचना प्रकाशित कराते हुए पेपर कतरन जिला राजस्व शाखा, बाँका को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे

प्रतिलिपि– आयुक्त के सचिव, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

18/1/20
समाहर्त्ता
बाँका

Scanned by CamScanner

समाहरणालय बाँका
(राजस्व शाखा)
अतिअल्पकालीन आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बाँका जिलान्तर्गत धनकुण्ड शिवरात्रि मेला सैरात की वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए बन्दोवस्ती हेतु आम डाक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय वेश्म में दिनांक– **08.02.2020 को अपराह्न 3.00 बजे** में की जायेगी। अपरिहार्य कारणवश उक्त तिथि को डाक नहीं होने पर दिनांक– **11.02.2020** को डाक की जायेगी। यदि उक्त तिथि को भी डाक नहीं हो पायी तो दिनांक– **13.02.2020** को निर्धारित स्थान एवं समय पर डाक की जायेगी। विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय राजस्व शाखा में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा कार्यालय सूचना पट्ट पर एवं जिला के वेबसाईट **http:\\ banka.bih.nic.in** पर भी देखा जा सकता हैं।

क्र0 सं0	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा राशि	जमानत की राशि (सुरक्षित जमा का 10 प्रतिशत)	अंचल का नाम
1	2	3	4	5
1	अक्टूबर श्रेणी सैरात धनकुण्ड शिवरात्रि मेला	9,40,298/-	94,030/-	धोरैया

डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को निम्नांकित शर्त्तो का पालन करना होगा :–

1. डाकवक्ता को डाक में भाग लेने के पूर्व निर्धारित सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत जमानत राशि के रूप में जिला नजारत शाखा, बाँका में जमा करना होगा। डाक की समाप्ति पर असफल डाकवक्ता को उसके द्वारा जमा की गयी जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
2. डाकवक्ता को डाक में भाग लेने के पूर्व सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र, आवास प्रमाण–पत्र एवं सैरात का बकाया रहित प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा।
3. उच्चतम डाकवक्ता के साथ बन्दोवस्ती की जायेगी।
4. उच्चतम डाकवक्ता को डाक की सम्पूर्ण राशि एवं स्टाम्प शुल्क **(6%)** तथा निबंधन शुल्क **(2%)** अर्थात् कुल– **08%** डाक समाप्ति के तुरन्त बाद जमा करना होगा अन्यथा जमानत की राशि जब्त करते हुए द्वितीय डाकवक्ता को राशि जमा करने का आदेश दे दिया जायेगा।
5. उच्चतम डाकवक्ता को बन्दोवस्ती के पश्चात् एकरारनामा का निबंधन करना होगा अन्यथा परवाना निर्गत नहीं किया जायेगा।
6. डाकवक्ता या संकलन अभिकर्त्ता के पास राशि बकाया रहने पर उन्हें डाक में भाग नहीं लेने दिया जायेगा। साथ ही उनके निकट भाई–भतीजा को भी डाक में भाग लेने नहीं दिया जायेगा। वर्त्तमान में जितनी जमीन है, जैसी है, उसी स्थिति के लिए डाक की जायेगी और ग्राउण्ड रेट की वसूली उतनी जगह के अन्दर ही की जायेगी।
7. मेले की जमीन को किसी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखने तथा साफ–सफाई एवं पानी की व्यवस्था करना लेसी की जिम्मेवारी होगी। मेले में किसी की प्रकार की राजनीतिक सभा नहीं की जायेगी। मेले में किसी प्रकार के स्थायी संरचना का निर्माण नहीं किया जायेगा, इसे सुनिश्चित करना लेसी की जिम्मेवारी होगी। बट्टी वसूली छपाई रसीद पर की जायेगी। किसी भी हालत में किसी भी सम्प्रदाय द्वारा मेले में अस्थायी/स्थायी कोई भी धार्मिक या मजहबी निर्माण नहीं किया जायेगा। इसकी जवाबदेही लेसी की होगी।
8. स्थानीय निबंधन सहयोग समिति ग्राम पंचायत यदि सुरक्षित जमा पर बन्दोवस्ती लेना चाहें तो उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी। इसके लिए उन्हें सक्षम पदाधिकारी के अनुशंसा एवं संबंधित पदाधिकारी से बकाया नहीं रहने संबंधी प्रमाण–पत्र के साथ डाक में भाग लेना होगा।
9. संक्रामक रोग या महामारी की स्थिति में मेला के लेसी की यह विशेष जवाबदेही होगी कि वे मेले में सड़ी गली वस्तुओं की खरीद–बिक्री नहीं होने दें। साफ–सफाई की विशेष व्यवस्था करेंगे। इस क्रम में कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।
10. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये बन्दोवस्ती रद्द करने या स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

28/1/20

समाहर्त्ता
बाँका

Scanned by CamScanner